मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-3

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

बुधवार, दिनांक 9 फरवरी, 2005 (माघ 20, 1926)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.30 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 15 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 30 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 46 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री गिरिजा शंकर शर्मा, सदस्य ने होशंगाबाद जिले के ग्राम केसला काष्टाखुर्द, काष्टारैयया तबाडी मरोड़ाकाला अखर में स्वीकृत क्षेत्र से बाहर रेत उत्खनन किये जाने,

(2) श्री दरबूसिंह उईके, सदस्य ने बालाघाट जिले के परसवाड़ा विकासखंड के अन्तर्गत भीकेवाड़ा भाटूकोटा में वनों की कटाई से ग्रामवासियों में रोष होने,

(3) श्री आरिफ अकील, सदस्य ने भोपाल में अशलील सीडी व इन्टरनेट केफे का व्यवसाय होने,

(4) श्री मोहन शर्मा, सदस्य ने नरसिंहगढ़ विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम इकलहरा के नाले पर रपटा निर्माण का कार्य न किये जाने,

(5) डॉ. सुनीलम्, सदस्य ने छिन्दवाड़ा जिले के पांढुर्ना क्षेत्र के किसानों द्वारा हाई बीज कपास की पैदावार पर सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य न दिये जाने,

(6) श्री हरिशंकर खटीक, सदस्य ने जिला टीकमगढ़ की तहसील पलेरा में लिंक कोर्ट शीघ्र शुरू करने,

(7) श्री मनोहरलाल राठौर, सदस्य ने राष्ट्रीय राजमार्ग इंदौर से नागपुर 59-ए मार्ग पर सड़क का मरम्मत कार्य न कराये जाने, तथा

(8) श्री रामदास उईके, सदस्य ने आदिवासी गरीबी रेखा के अन्तर्गत शादी विवाह हेतु आर्थिक सहायता का मापदंड दिये जाने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं।

3. नवम्बर-दिसम्बर 2004 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तर

अध्यक्ष महोदय ने नवम्बर-दिसम्बर, 2004 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों को पटल पर रखे जाने की घोषणा की।

4. नियम 267-क के अधीन नवम्बर-दिसम्बर, 2004 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन

अध्यक्ष महोदय ने नियम 267-क के अधीन नवम्बर-दिसम्बर, 2004 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखे जाने की घोषणा की।

5. अनुमति प्राप्त विधेयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि विगत सत्र में पारित निम्नलिखित विधेयकों को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है :-

(1) मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 26 सन् 2004) (अधिनियम क्रमांक 16 सन् 2004)

(2) मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2004 (क्रमांक 17 सन् 2004) (अधिनियम क्रमांक 17 सन् 2004)

(3) मध्यप्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 14 सन् 2004) (अधिनियम क्रमांक 18 सन् 2004)

(4) मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 20 सन् 2004) (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 2004)

(5) मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) विधेयक, 2004 (क्रमांक 25 सन् 2004) (अधिनियम क्रमांक 20 सन् 2004)

(6) मध्यप्रदेश ग्राम तथा नगर निवेश (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 21 सन् 2004) (अधिनियम क्रमांक 21 सन् 2004)

(7) भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 18 सन् 2004) (अधिनियम क्रमांक 22 सन् 2004)

(8) मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 19 सन् 2004) (अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2004)

(9) मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 23 सन् 2004) (अधिनियम क्रमांक 1 सन् 2005)

(10) मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 15 सन् 2004) (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 2005)

6. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक मंगलवार, दिनांक 8 फरवरी, 2005 को सम्पन्न हुई जिसमें वर्ष 2004-2005 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक के पुरःस्थापन, विचार एवं पारण पर चर्चा हेतु 2 घंटे का समय निर्धारित किया गया समिति द्वारा यह भी सिफारिश की गई कि -

(1) वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक का उपस्थापन दिनांक 18 फरवरी, 2005 को प्रातः 10.30 बजे किया जाए।

(2) दिनांक 11,14 एवं 23 फरवरी, 2005 को सभा की बैठक न रखी जाए।

(3) राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा दिनांक 10,15 एवं 16 फरवरी 2005 को रखी जाए।

(4) दिनांक 21 फरवरी को सभा की बैठक सायं 7 बजे तक तथा दिनांक 22 फरवरी, 2005 को सभा की बैठक में भोजनावकाश न रखा जाए।

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि अभी अध्यक्ष महोदय, ने कार्यमंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़कर सुनाई, उन्हें सदन स्वीकृति देता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

7. ध्यानाकर्षण

(1) श्री अजय विश्नोई, सदस्य ने रायसेन जिले के हलाली जलाशय में नियम विरूद्ध मछली का आखेट किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्यमंत्री मछली पालन का ध्यान आकर्षित किया।

श्री मोती कश्यप, राज्यमंत्री, मछलीपालन ने इस पर वक्तव्य दिया।

(श्री नारायण त्रिपाठी, सदस्य की सदन से अनुपस्थिति के कारण "रीवा जिले में सेवा सहकारी समिति पन्नी शाखा मऊगंज द्वारा खाद्यान्न की कालाबाजारी किये जाने" संबंधी ध्यानाकर्षण की सूचना प्रस्तुत नहीं हो सकी)

8. सभापति तालिका

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभापति तालिका के लिए निम्नलिखित सदस्यों को नामनिर्दिष्ट किया गया :-

(1) डॉ. नरोत्तम मिश्र
(2) श्रीमती सुधा जैन
(3) सुश्री कुसुम सिंह
(4) श्री हिम्मत कोठारी
(5) श्री हरवंश सिंह
(6) श्री इंद्रजीत कुमार

11.54 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 10 फरवरी, 2005 (माघ 21, 1926) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.